न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/173/2024 रजू दिनांक: 27.12.2024 रजि0 न0 2024/293

अपीलार्थी:–

श्री रामबाबू यादव पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण यादव, निवासी ग्राम सकट, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 13.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 31.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2025/34 दिनांक 11.01. 2025 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक 11.11..2024 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने/विनिश्चय से अवगत नही कराये जाने बाबत सूचित किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में इस कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित सूचना (कुल 13 पुष्ठीय/बहुपृष्ठ) कार्यालय पत्र सं. लो.सू.अ/RTI/ 2024/2334 दिनांक 13.12.2024 एवं पत्र सं. लो.सू.अ/RTI/2024/3038 दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पूर्व पत्रांक 2334 दिनांक 13.12.2024 एवं 3038 दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/35 दिनांक 11.01.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)